न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज, रूड़की, जिला हरिद्वार।

मूल वाद संख्या–236/2022

प्रताप सिंह बनाम विक्रम सिंह आदि

<u>दिनांक 28.11.2022–</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। वादी अनुपस्थित। नियमित अन्तराल में कई बार पुकार लगायी गयी। वादी की ओर से ना तो उसके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये और ना ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय की आख्या के अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण हेतु पैरवी नहीं ली गयी है। ऐसी स्थिति में वाद अभिलेख पर आज ऐसा कोई आधार विद्य मान नहीं है, जिससे वाद की कार्यवाही स्थगित की जा सके। अतः वाद की उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह वाद वादी की अनुपस्थिति व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

(राजीव धवन)
वरिष्ठ सिविल जज,
रूडकी जिला हरिद्वार।